<u>वेब परिचालन हेतु</u>

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वेबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: बी.एस.सी. 1(1)2017-18/6901 दिनांक : 11.09.2019

सेवा में,

अपर के.भ.नि.आं. (अंचल)/
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त- I/II
क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी/
निदेशक, पीडीनास
अपर के.भ.नि.आ. (प्र.से.प्र.)

विषयः 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखों पर सी एवं ए जी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

कृपया एतद्द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखों पर सी एवं ए जी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट संगठन की टिप्पणियों सहित संलग्न है। आप से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि की गई टिप्पणियों को ठीक कर लिया गया है और आपके अंचल/क्षेत्रीय कार्यालय के वार्षिक लेखों में नहीं दोहराया गया है।

भवदीया,

संलग्नः- यथोपरि

(उमा मंडल)
अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (वि एवं ले.)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट - टिप्पणियां	संगठन की अभ्युक्तियां
हमने 31 मार्च, 2018 तक **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.)** के संलग्न तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में मुख्यालय, 135 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.), पीडीनास तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (नई दिल्ली एवं बंगलूरू) के क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण सहित 21 आंचलिक कार्यालयों के लेखे शामिल हैं। मुख्यालय के इन लेखों में 06 आंचलिक कार्यालय, पीडीनास तथा 18 क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई तथा टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में उचित प्रकार से शामिल किया गया है । ये वित्तीय विवरणियां क.भ.नि.सं. के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणियों पर अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।	1. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रक्रियाओं के साथ समानुरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदंड आदि से संबंधित लेखा निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां निहित हैं । विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यपालन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।	2. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।
3. भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने के	3. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।

संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरिणयों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंधकों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी। 4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :- (i) रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के अनुसार हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जोकि हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक था; (ii) समेकित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार तैयार किया गया है। (iii) हमारे विचार में, क.भ.नि.सं. की लेखा बहियों एवं अन्य संगत अभिलेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इनका क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के अनुसार रख-रखाव किया जा रहा है। iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:	4. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।
ए. तुलन पत्र **ए.1 देयताएं** **ए.1.1. सदस्यों के निष्क्रिय लेखे (अनुसूची 2) - 54657.87 करोड़ रूपये**	**ए. तुलन पत्र** **ए.1 देयताएं** **ए.1.1.**

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, द्वारा निष्क्रिय लेखों के मद में वर्ष के दौरान 42.65 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया, हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा सं.1 में शून्य दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय लेखे में 42.65 करोड़ रूपये अधिक दर्शाए गए। **(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै । एवं चेन्नै ।।** क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की "निष्क्रिय लेखों के निपटान का सार" के अनुसार, 18,06,556 निष्क्रिय लेखों के संबंध में 829.51 करोड़ रूपये की राशि को 01.05.2010 के आदि शेष के रूप में दर्शाया गया है। 01.05.2010 के बाद निष्क्रिय लेखों में कोई वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2017-18 का कुल भुगतान 1308.83 करोड़ रूपये था जबकि वास्तविक शेष 829.51 करोड़ रूपये था जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2018 को निष्क्रिय लेखों में 479.32 करोड़ रूपये का नकारात्मक शेष था किंतु वार्षिक लेखों में, निष्क्रिय लेखों में 366.19 करोड़ रूपये का नकारात्मक शेष दर्शाया गया था जिसके कारण 113.13 करोड़ रूपये का अंतर सामने आया। निष्क्रिय लेखों में दर्शाया गया गलत शेष तथा निष्क्रिय लेखों में पड़ी शेष राशि से अधिक भुगतान ईडीपी द्वारा सृजित रिपोर्ट में तकनीकी गलती के कारण हुआ। इसे लेखों में ठीक किए जाने की आवश्यकता है।	(i) सदस्यों के निष्क्रिय लेखे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्य की भविष्य निधि देयताओं का हिस्सा होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ ने निष्क्रिय लेखों के भुगतान को सदस्य लेखों को भुगतान (सक्रिय) में दर्शाया है, वरना उनकी रोकड़ बही का समेकन नहीं होता। यह केवल सदस्य लेखों के बीच लेखों का गलत-वर्गीकरण है। अत:, सदस्य लेखों की देयताओं को अधिक नहीं दर्शाया गया है। हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालय को चालू वित्तीय वर्ष में लेखो के आंकड़ों को सही शीर्ष में दर्शाने के लिए कहा गया है। (ii) उत्तर उपर्युक्तानुसार ही है।
ए.1.2. चालू देयताएं एवं उपबंध(क.भ.नि.) (अनुसूची-5) - 555.72 करोड़ रूपये उपर्युक्त में, 31 मार्च, 2018 तक 1976-77 से 2017-18 की अवधि के 140.86 करोड़ रूपये के असमेकित अधिक/त्रुटि पूर्ण जमा राशि शामिल है।	ए.1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों को असमेकित अधिक/गलत जमा राशि का समेकन करने के निदेश दिए गए हैं।

ए.1.3 निर्धारित/अक्षय निधियां (एन्डोमेंट फंड्स)

स्टाफ भविष्य निधि (अनुसूची-13) 1077.69 करोड़ रूपये

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ भविष्य निधि लेखे में 1307.61 करोड़ रूपये की देयता थी (स्टाफ भविष्य निधि लेखे (अनुसूची 13) : 1077.69 करोड़ रूपये तथा स्टाफ भविष्य निधि ब्याज लेखा (अनुसूची 11) : 229.92 करोड़ रूपये) जिसके विरूद्ध लेखों में 1604.33 करोड़ रूपये की परिसंपत्ति दर्शाई गई (स्टाफ भविष्य निधि निवेश (अनुसूची 26) 1562.80 करोड़ रूपये, ट्रांजिट में स्टाफ भविष्य निधि राशि (अनुसूची 28) : 1.23 करोड़ रूपये, भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ भविष्य निधि निवेश लेखा (अनुसूची 28): 0.73 करोड़ रूपये, स्टाफ भविष्य निधि लेखे में गलत डेबिट (अनुसूची 28) 0.02 करोड़ रूपये तथा उपार्जित किंतु निवेश पर देय न होने वाला ब्याज: 39.55 करोड़ रूपये)। 296.72 करोड़ रूपये के अंतर का समेकन नहीं किया गया।

ए.1.3

स्टाफ भविष्य निधि में देयताओं के समक्ष तुलन पत्र में अतिरिक्त निवेश पिछले कई वर्षों के दौरान स्टाफ भविष्य निधि लेखे में अधिक राशि के अंतरण के कारण है। निवेश अनुभाग से स्टाफ भविष्य निधि लेखे में अतिरिक्त निवेश को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशासकीय निधि में अंतरित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

ए.2. परिसंपत्तियां

ए.2.1 निम्नलिखित तालिका में 2015-16 से पहले मार्गस्थ प्रेषण की धन-प्रेषण राशि दर्शाई गई है जिसके समेकन वं लेखाकरण की आवश्यकता है।

लेखा शीर्ष	उपशीर्ष	राशि लाखों में
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 23) कनिसबी 453.82 करोड़ रूपये	कनिसबी अंशदान लेखा क्षत्रीय (लेखा सं. 21) से कनिसबी अंशदान लेखा केंद्रीय (लेखा सं. 25) में मार्गस्थ प्रेषण	974.97
	बैंक से लेखा सं. 25 में मार्गस्थ प्रेषण	5.32
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 28) कनिसबी प्रशासकीय निधि 1154.03 करोड़ रूपये	कभनि प्रशासकीय प्रभार लेखा केंद्रीय (लेखा सं. 4) की मार्गस्थ राशि	518.03
	स्टाफ भविष्य निधि लेखा की मार्गस्थ राशि (लेखा सं. 8)	122.68
चालू परिसंपत्तियां,	कभनिसबी प्रशासकीय प्रभार क्षेत्रीय लेखा	154.32

ए.2. मार्गस्थ राशि 2014-15 से पहले की अवधि की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1989 से मई 1999 तक की अवधि का चालान उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। इसी प्रकार 2014-15 से पहले के रिकार्ड का रख-रखाव मैनुअली किया जाता था तथा भारतीय स्टेट बैंक ने पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर की है। हालांकि, असमेकित मार्गस्थ राशि के समेकन के मामले पर भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत चल रही है।

ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 30) कनिसबी - प्रशासकीय निधि 141.77 करोड़ रूपये	(लेखा सं. 22) से कभनिसबी प्रशासकीय प्रभार लेखा केंद्रीय (लेखा सं. 24) में मार्गस्थ प्रेषण		
ए 2.2 कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासकीय निधि निवेश (अनुसूची 25) - 21810.85 करोड़ रूपए जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा बताया गया 31.03.2018 तक विशेष जमा लेखा के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय प्रशासकीय निधि (लेखा संख्या 4) का निवेश 21,608.47 करोड़ रूपये था। हालांकि, लेखों में इसे 21600.85 करोड़ रूपये दर्शाया गया है। इसके कारण 31.03.2018 को अंत शेष में 7.62 करोड़ रूपए का अंतर सामने आया, जिसका समाशोधन नहीं किया गया ।			**ए.2.2** इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा की गई, जहां पर एस.डी.ए. का रखरखाव किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण 1989 से 24.07.1998 तक की अवधि के अंतर के लिए लेखा विवरणी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई।
ए 2.3 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासकीय निधि निवेश (अनुसूची 29) – 2813.94 करोड़ रूपए जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा बताया गया 31.03.2018 तक विशेष जमा लेखा के अंतर्गत क.नि.स.बी. प्रशासकीय प्रभार निधि (लेखा संख्या 24) का निवेश 2811.61 करोड़ रूपये था। हालांकि, लेखों में इसे 2813.94 करोड़ रूपये दर्शाया गया है। इसके कारण 31.03.2018 को अंत शेष में 2.33 करोड़ रूपए का अंतर सामने आया, जिसका समाशोधन नहीं किया गया ।			**ए.2.3** इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा की गई, जहां पर एस.डी.ए. का रखरखाव किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण 1989 से 24.07.1998 तक की अवधि के अंतर के लिए लेखा विवरणी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई।
ए 2.4 निवेश (अनुसूची 18,20,22,26,27) - 1033894.31 करोड़ रूपये **ए 2.4.1** निवेश की उपर्युक्त पांच अनुसूचियों से क.भ.नि.सं. के निवेश की स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आती जिसका विवरण इस प्रकार है:- i) अनुसूची में दिए गए प्रकटीकरण से न तो निवेश का परिशोधित मूल्य और न			**ए 2.4** **ए 2.4.1** (i) एवं (ii) निवेश के परिशोधित मूल्य तथा निवेश के अंकित मूल्य को अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के प्रकटीकरण में अलग से दर्शाया जाएगा।

ही निवेश का अंकित मूल्य पता लगाया जा सकता है। (ii) इसके साथ ही, क.भ.नि.सं. ने तुलन पत्र में दर्शाए गए कुल निवेश के परिशोधित मूल्य में किए गए निवेश के प्रकारों को वर्गीकृत नहीं किया है।	
ए.2.4.2 उपर्युक्त में 41639.34 करोड़ रूपये का ईटीएफ निवेश शामिल है (अनुसूची 18,20,22,26 एवं 27 में दिखाए गए ईटीएफ निवेश का कुल जोड़) जबकि निवेश मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ (आईएमसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को ईटीएफ निवेश का मूल्य 43663.23 करोड़ रूपये था। इसके परिणामस्वरूप ईटीएफ निवेश में 2023.89 करोड़ रूपये कम दर्शाए गए। साथ ही ईटीएफ निवेश का बाजार मूल्य 47480.08 करोड़ रूपये था जिसे लेखा- नोट में दर्शाया नहीं गया।	**ए.2.4.2** राशि में अंतर प्रतिभूतियों के गलत-वर्गीकरण की वजह से सामने आया। लेखों में दर्शाई गई निवेश की कुल राशि, निवेश अनुसूची की कुल राशि से मेल खाती है। वर्गीकरण में अंतर को अगले तुलन-पत्र में सही कर दिया जाएगा। अभी तक, निवेश को लागत मूल्य पर दर्शाने की नीति थी, हालांकि धारित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के कारण होने वाले लाभ तथा हानि को ईटीएफ के लिए लेखा नीति के अधिसूचित होने के बाद दर्शाया जाएगा।
ए.2.5 चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 28) - 1154.03 करोड़ रूपये मासिक बिजली एवं जल प्रभार तथा हुडको विशाला भवन में आमतौर पर साझा प्रयोग में लेने वाले सेवाओं के रख-रखाव का सितंबर, 2009 से सितंबर, 2016 तक की अवधि के लिए सीबीईसी तथा सीबीडीटी (सीबीईसी 1.87 करोड़ रूपये तथा सीबीडीटी: 2.03 करोड़ रूपये) से 3.90 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की जानी है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चालू वर्ष का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि मामला विवादित है। इस तथ्य को लेखा-नोट में दर्शाया जाए।	**ए.2.5** कभनिसं के लिए अलग से मीटर लगाने हेतु बिजली और जल आपूर्ति प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया गया है। तब तक, सीबीईसी एवं सीबीडीटी से कहा गया है कि वे कभनिसं को पिछली देय राशि सहित अपने भाग के देय का भुगतान करें। इस मामले पर जोर देकर कार्रवाई की जा रही है।
बी. आय एवं व्यय लेखा **बी.1 आय** **बी.1.1 ब्याज आय - 30490.87 करोड़ रूपये (अनुसूची 34)** उपर्युक्त में, वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिले अनुदान पर 4.85 करोड़ रूपये की ब्याज आय भी शामिल है जिसे सरकार की देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। साथ ही, पिछले वर्ष (2016-17) के दौरान अर्जित 1.44 करोड़ रूपये की ब्याज आय (उपयोग प्रमाणपत्र के अनुसार 166.58 करोड़ रूपये के आदि शेष में से घटाए गए कभनिसं द्वारा उपलबध विवरण के अनुसार 165.14 करोड़ रूपये का अंतर) को भी सरकार की देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 4.85 करोड़	**बी.** **बी.1.** **बी.1.1** प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के लिए खोले गए बैंक खाते पर अर्जित ब्याज राशि संबंधी मामला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है। इस मामले पर निर्णय हो जाने के बाद, ऐसे ब्याज की राशि पर भारत सरकार के निर्णयानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रूपये की ब्याज आय, कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान निधि (अनुसूची 6) में 1.44 करोड़ रूपये अधिक दर्शाए गए तथा चालू देयताओं एवं उपबंधों में 6.29 करोड़ रूपये कम दर्शाए गए।	व्यय न किए गए शेष (आदिशेष तथा अंतशेष) के अंतर के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदान एवं अंशदान स्वीकृति पत्र के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र जारी किया गया। उपयोग प्रमाणपत्र द्वारा अग्रेषित विवरण में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का आदि तथा अंतशेष शामिल नहीं है 7,925.69 करोड़ रूपये की ब्याज राशि कर्पेयो, 1995 में सरकार के अंशदान पर अर्जित ब्याज से संबंधित है जिसे लोक लेखा में जमा किय गया है (केंद्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) संबंधित बैंक खातों में वास्तविक प्राप्तियों तथा उस पर क्रेडिट ब्याज के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना तथा पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्र भेजे गए।
सी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 44) **सी.1** किसी शीर्ष को जोड़ने/हटाने से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 13 प्रकटीकरण प्रकृति की है तथा इसे आकस्मिक देयताओं एवं लेखों पर नोट की अनुसूची के अंतर्गत दर्शाए जाने की आवश्यकता है।	**सी.** **सी.1** अनुपालन के लिए नोट किया गया इसे चालू वित्तीय वर्ष में आकस्मिक देयताओं एवं लेखों पर नोट की अनुसूची के अंतर्गत दिखाया जाएगा।
सी. 2 महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 7.2 जिसमें यह कहा गया कि स्टाफ को दिए गए अग्रिम पर ब्याज को वसूली अवधि पर ध्यान दिए बगैर वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा, को कभनिसं द्वारा 2017-18 के दौरान लागू नहीं किया गया जबकि इसे लागू करने के आदेश कभनिसं द्वारा अगस्त, 2018 में जारी किए गए थे।	**सी.2** भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
सी.3 महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 10.2. में कहा गया कि अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में देखा जाएगा। यह लेखा नीति लेखों के सामान फार्मेट तथा एएस-15 का उल्लंघन है जिसमें यह कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के बाद किया जाए।	**सी.3** अनुमोदित लेखा के सामान फार्मेट तथा इसकी अनुसूचियां अनुसूची 44: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां बिंदु 10.2 में कहा गया है कि 'वर्ष के दौरान दिए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में देखा जाएगा'। तद्नुसार अवकाश नकदीकरण व्यय को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में देखा जाता है।
सी.4 निवेश पर महत्वपूर्ण लेखानीति सं.3 अपूर्ण है क्योंकि यह स्थिर ब्याज आय वाले साधनों में निवेश के मूल्यांकन तथा लेखाकरण की नीति को प्रकट नहीं करती। ब्याज	**सी.4** दिनांक 27.01.2007 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 178वीं बैठक द्वारा अनुमोदित निवेश के लिए संशोधित लेखा नीति के अनुसार परिशोधित मूल्य पर

<table>
<tr><td>वाले स्थिर आय साधनों में निवेश का परिशोधित मूल्य पर मूल्यांकन किया गया, जिसे लेखा नीति में प्रकट किया जाना चाहिए।</td><td>निवेश/प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>सी.5 कभनिसं ने एक्सचेंज ट्रैडड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश किया है तथा निवेश के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (अनुसूची 44 में नीति सं. 3) को प्रकट किया है। हालांकि, प्रकट की गई नीति के अनुसार निवेश का मूल्यांकन नहीं किया गया। कभनिसं ने कहा कि लेखा नीति में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है।</td><td>सी.5 अनुसूची में 44 में नीति सं.3 के अनुसार मूल्यांकन को अधिसूचित किया जाना बाकी है। अभी, ईटीएफ में निवेश को लागत मूल्य पर दिखाया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>सी.6 कभनिसं का अगस्त, 2015 से भारत 22 ईटीएफ में 2024.75 करोड़ रूपये का निवेश है, जिसका 31 मार्च, 2018 तक बाजार मूल्य 1980.45 करोड़ रूपये है यानी 31 मार्च, 2018 तक 44.30 करोड़ रूपये की कमी है जिसे लेखों पर नोट में दर्शाया नहीं गया।</td><td>सी.6 इक्विटि अथवा ऐसे ही अन्य साधनों में निवेश का मूल्य बाजार में अस्थिरता के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा लगभग दैनिक आधार पर उतरते-चढ़ते रहते हैं। मूल्य तथा बाजार भाव में किसी नकारात्मक अंतर को इसलिए तब तक कमी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि निवेश की बिक्री तथा घाटे को बुक नहीं कर लिया जाता। ईटीएफ के लिए आगामी लेखा नीति ऐसे मामलों पर विचार करेगी।</td></tr>
<tr><td>सी.7 महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 10.1 में कहा गया है कि स्टाफ पेंशन-सह ग्रेच्युटी निधि संबंधी देयताओं का बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखाकरण किया जाता है तथा बीमांकक मूल्यांकन के कारण निधि में किसी कमी अथवा आधिक्य का, संबंधित वर्ष में ही लेखाकरण किया जाता है। कभनिसं ने नवंबर, 2015 से उपर्युक्त निधि के लिए बीमांकक मूल्यांकन नहीं करवाया। साथ ही, नवंबर, 2015 में किए गए उपर्युक्त मूल्यांकन के कारण 4854.37 करोड़ रूपये के घाटा (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि में लेखों पर नोट का अवलोकन करें) का लेखानीति सं. 10 (1) का उल्लंघन करते हुए लेखों में लेखाकरण नहीं किया गया।</td><td>सी.7 पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि लेखे के बीमांकक मूल्यांकन (2014-15) के अनुसार 10,559.66 रूपये का निवल घाटा था। केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार लेखा सं. 4 तथा 24 में राजस्व अधिशेष को घाटे की पूर्ति हेतु पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि में अंतरित किया जा रहा है। 31.03.2018 तक अंतरित कुल राशि को ग्रेच्युटी एवं पेंशन के वास्तविक भुगतान सहित संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में देखा जाता है।</td></tr>
<tr><td>डी सामान्य
डी.1 कभनिसं निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत उचंत लेखों का परिचालन किया जा रहा है:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>शीर्ष का नाम</th><th>शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत राशि</th></tr>
<tr><td></td><td>विविध जमा</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>उचंत लेखा (अवर्गीकृत कर्मचारी भविष्य</td><td>96.25</td></tr>
</table></td><td>डी.1 इसके रखरखाव के संबंध में कहा जाता है कि राशि/लेन-देन का फील्ड कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से उपयुक्त लेखाकरण, मॉनीटरिंग एवं समायोजन किया जाता है। इस रिकॉर्ड का रख-रखाव फील्ड कार्यालयों द्वारा किया जाता है तथा राज्यों के संबंधित महा लेखाकारों द्वारा जांच/लेखा परीक्षा की जा सकती है।</td></tr>
</table>

	निधि) (अनूसूची 5)			
2.	उचंत लेखे (प्रशासकीय निधि) (अनूसूची 15)	20.58		
	विविध नामे			
3.	उचंत लेखे (अवर्गीकृत क.भ.नि.) (अनुसूची 19)	87.76		
4.	उचंत लेखे (प्रशा निधि) (अनुसूची 28)	22.76		
कभनिसं के लेखांकन प्रक्रिया मैनुअल भाग-I के अध्याय 10 के अंतर्गत पैरा VII पैरा 10.6 के अनुसार प्रत्येक वर्ष तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं दोनों के पक्ष में "अवर्गीकृत उचंत" के अंतर्गत शेष का विवरण दर्शाने वाली विवरणी, जिसमें लेन-देन की तिथि, संक्षिप्त विवरण, राशि इत्यादि दर्शाई गई हो, संलग्न की जाए। विनिर्दिष्ट आवश्यक विवरण वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया गया है।				
डी.2 वार्षिक मूल्यांकन - कर्मचारी पेंशन योजना के अनुच्छेद 32 के अनुसार, संघ सरकार को द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जानी शेष है और वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यांकन किया जाना शेष है।				**डी.2** वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट बीमांकक से प्राप्त हुई है और इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है तथा वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यांकन अभी शेष है।
ई. अनुदान सहायता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्य रूप से अंशदान से प्राप्तियों एवं प्रशासनिक शुल्क से वित्तपोषित है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार से संगठन को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ । तथापि, क.पें.यो. 1995, पीएमआरपीवाई और पीएमपीआरपीवाई योजनाओं के अंतर्गत 1000/- रूपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए केंद्र सरकार से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुदान प्राप्त हुआ है : (i) क.भ.नि.सं के पास क.पें.यो 1995 योजना के तहत (-)6663.67 करोड़ रूपये (वसूली योग्य) अव्ययित शेष था, वर्ष 2017-18 के दौरान 5111.18 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, वर्ष के दौरान 5757.42 करोड़ रुपये का उपयोग करने के पश्चात योजना के अंतर्गत				**ई** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का संपूर्ण व्यय प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार से वित्तपोषित होता है, प्रशासनिक व्यय के लिए बजटीय सहायता के रूप में भारत के समेकित कोष से क.भ.नि.सं को कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं होती है। हालाँकि, क.पें.यो. 1995, पीएमआरपीवाई और पीएमपीआरपीवाई योजनाओं के अंतर्गत प्रति माह 1000/- रूपये की न्यूनतम पेंशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त हुआ है। बिंदु संख्या (i), (ii) और (iii) में दर्शाए गए आंकड़े समुचित लेखा शीर्षों में वार्षिक लेखों में दर्शाए गए हैं।

(-)7308.91 करोड़ रुपये (वसूली योग्य) अव्ययित शेष रहे । (ii) क.भ.नि.सं के पास पीएमआरपीवाई योजना के अंतर्गत 165.14 करोड़ रुपये अव्ययित शेष था, वर्ष 2017-18 के दौरान 470.25 करोड़ रुपये हुए, वर्ष के दौरान 491.31 करोड़ रुपये का उपयोग करने के पश्चात योजना के अंतर्गत 144.08 करोड़ रुपये अव्ययित शेष रहे। (iii)) क.भ.नि.सं के पास पीएमपीआरपीवाई योजना के तहत 29.82 करोड़ रुपये अव्ययित शेष था, वर्ष 2017-18 के दौरान 12.00 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। वर्ष के दौरान 18.40 करोड़ रुपये का उपयोग करने के पश्चात योजना के अंतर्गत रुपये 23.42 करोड़ अव्ययित शेष बचा।	
एफ. प्रबंधन पत्र ऐसी कमियां जिन्हे (महत्ता के आधार पर) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है को सुधारक / निवारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के द्वारा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया गया है। **v.** पिछले पैरा में दी गई टिप्पणियों को देखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाते तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाते लेखा पुस्तिका के अनुसार सही हैं । **vi.** हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण उपर्युक्त पैरा एवं उपर्युक्त अन्य महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट के अधीन है तथा यह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार एक सत्य एवं निष्पक्ष मत प्रस्तुत करता है । ए. जहां तक तुलनपत्र का संबंध है, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2018 तक के क्रियाकलापों को दर्शाता है ।	**एफ.** सीएजी द्वारा प्रकाश में लाई गई कमियों का संज्ञान लिया गया है और सुधारात्मक कार्रवाई अलग से की जा रही है।

बी. जहां तक आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष से संबंधित है ।	

भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की ओर से
हस्ता / -
महानिदेशक लेखा परीक्षा, (केंद्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23-07-2019

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (परिशिष्ट) - अभियुक्तियां	संगठन की अभियुक्तियां
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता • कुल 132 इकाइयों में से, 132 इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा की योजना बनाई गई थी और केवल 131 इकाइयों का लेखा परीक्षण किया गया था। • आपत्तियों के निपटारे के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि 31.3.2018 को 12899 आंतरिक ऑडिट पैरा बकाया थे।	**1** • ईपीएफटी के सीजीआईटी में विलय के कारण एक इकाई का ऑडिट नहीं किया जा सका। • ई-समीक्षा के माध्यम से उचित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और निगरानी की जा रही है। इन पैरा को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता • 31 मार्च 2018 विविध डेबिट (अनुसूची 19) में ओवरपेमेंट और अनियमित भुगतान का संचयी शेष क्रमशः 6.35 करोड़ और 5.88 करोड़ रुपये शामिल है। एक वर्ष की अवधि में अधिक भुगतान की राशि में 84 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। यह प्रणाली की गंभीर चूक और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। • क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर 1.98 करोड़ रुपये की अन्य अचल संपत्तियों और 2,.04 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट के विवरण की पुष्टि नहीं कर सका। • आंचलिक कार्यालय भोपाल और आंचलिक कार्यालय पटना द्वारा समेकित खातों के आंकड़े उनके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते से मेल नहीं खा रहे हैं। • क्षे.का नासिक, क्षे.का हावड़ा, क्षे.का बेहरामपुर, क्षे.का चेन्नई । और ॥ और पीडीनास के खातों और बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों में भिन्नता। • आंचलिक कार्यालय भोपाल, क्षे.का रायपुर, क्षे.का इंदौर, क्षे.का चेन्नई । और ॥ और आं.प्र.सं कोलकाता की खातों में दर्शाई गई अचल संपत्तियों के आंकड़ों एवं इनके विवरण के बीच में	**2.** • ऐसे भुगतानों की वसूली के लिए सभी फील्ड कार्यालयों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे। भुगतान और अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया है • क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को ऑडिट टीम के आने वाले दौरे के समय अचल संपत्तियों और सिक्योरिटी डिपॉजिट के आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। • इसका समाधान किया जाएगा और यदि कोई अंतर होगा तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा। • क्षेत्रीय कार्यालयों ने स्पष्ट किया है कि ये अंतर बजट नियंत्रण रजिस्टर में कुछ लिपिकीय और टाइपोग्राफिक गलतियों के कारण हैं और भविष्य में इन्हें दोहराया नहीं जाएगा। • समाशोधन के पश्चात अंतर, यदि कोई हो, अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा ।

भिन्नता। • आं.प्र.सं कोलकाता द्वारा लेखा बहियों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए लेखा बहियों के मामले में यह देखा गया कि आंकड़े पेंसिल द्वारा लिखे और जोडे गए थे और प्रविष्टियों के संबंध में कोई अधिकृत हस्ताक्षर नहीं किए गऐ थे। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में प्रविष्टियों की प्रमाणीकरण और उपयुक्तता का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, प्रविष्टियाँ लेखों में दिखाए गए हेड डिवीजनों के अनुसार नहीं थीं , जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक संबंधित हेड से संबंधित आंकड़े ट्रेस करने में कठिनाई होती है। • कई क्षे.का ने ऑडिट के लिए पूर्व-संशोधित खातों को प्रस्तुत किया है	• विभिन्न खातों में दिखाए गए अंतर को फिर से जांचा गया और सही पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट टीम को भूलवश पूर्व-संशोधित बैलेंस शीट प्रस्तुत कर दी गई थी। ऑडिट टीम के अगले दौरे मे इसका सत्यापन किया जा सकता है। • आं.का/ क्षे.का को निर्देश दिया गया है कि वे लेखा परीक्षा के लिए केवल अंतिम खातों को प्रस्तुत करें जिन्हें समग्र रूप से क.भ.नि.सं के लेखों के समेकन के लिए अपनाया गया है।
3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली • क.भ.नि.सं., मुख्यालय की पुस्तकों, प्रकाशनों और वाहनों को छोड़कर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 3/12/2018 को किया गया था। • क.भ.नि.सं के क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है (क्षे.का देहरादून, क्षे.का पटना और जोनल ऑफिस फरीदाबाद द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में)।	**3.** • संबंधित कार्यालयों में अचल संपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए समितियों का गठन किया गया है। • संबंधित कार्यालयों में अचल संपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए समितियों का गठन किया गया है।
4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली • क.भ.नि.सं., मुख्यालय के संबंध में उपभोग्य और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन 3/12/2018 को किया गया है। • क.भ.नि.सं के क्षेत्रीय कार्यालयों की क्षेत्रीय कार्यालयों की इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है (क्षे.का देहरादून, क्षे.का पटना और जोनल कार्यालय फरीदाबाद अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में)।	**4.** • अचल संपत्तियों के नियमित सत्यापन के लिए समिति का गठन किया गया है। • इन्वेंट्री के नियमित सत्यापन के लिए समिति का गठन किया गया है।
5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता लेखों के अनुसार 31.03.2018 तक सांविधिक देयों के संबंध में पिछले 6 महीनों से कोई भुगतान बकाया नहीं है।	**5.** तथ्यात्मक, है कोई टिप्पणी नहीं ।

प्रबंधन पत्र के लिए परिशिष्ट

<table>
<tr>
<td>1. चालू वर्ष के दौरान वर्ष 2016-17 के लिए बैंकिंग अनुभाग और क.भ.नि.सं के निवेश अनुभाग की राशि के बीच अंतर को समायोजित नहीं किया गया था जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है।
<table>
<tr><th>लेखा शीर्ष</th><th>राशि (लाख में)</th></tr>
<tr><td>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.भ.नि) (अनुसूची 5) - क.भ.नि निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट'</td><td>63.66</td></tr>
<tr><td>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.पें.यो) (अनुसूची 7) - क.पें.यो निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट'</td><td>26.39</td></tr>
<tr><td>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.नि.सह.बी.यो.) (अनुसूची 9) - क.नि.सह.बी.यो.निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट'</td><td>40.85</td></tr>
<tr><td>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 15) स्टाफ पैंशन-सह-ग्रेच्युटी फंड - पैंशन- पैंशन-कम-ग्रेच्युटी फंड निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट'</td><td>5.13</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>136.03</td></tr>
</table>
</td>
<td>1. अगले वित्तीय वर्ष में इसे समायोजित कर दिया जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>2. ब्याज खाता - क.भ.नि. अंशदान निधि (अनुसूची-4) रू. 27006.83 करोड़

उपर्युक्त में निवेश घटाव-चढ़ाव लेखे के अंतर्गत रुपये 270.08 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जो जो 2006-07 से संचालित नहीं हुए हैं। इस गैर-परिचालन लेखे की निरंतरता और लेखों में परिणामस्वरूप आवश्यक लेखा समायोजन के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए।</td>
<td>2. इस मामले को के.न्या.बो., क.भ.नि.सं. के विचारार्थ रखा जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>3. क.नि.सह.बी. अंशदान निधि निवेश (अनुसूची 22) - रु. 23591.54 करोड़

उपर्युक्त राशि में वर्ष 2017-18 के लिए सार्वजनिक खाते में क.नि.सह.बी. निवेश पर ब्याज के रूप में प्राप्त किए गए 684.60 करोड़ रुपये शामिल हैं, लेकिन निवेश अनुभाग द्वारा लेखा परीक्षा के लिए प्रदान किए गए निवेश के विवरण में यह राशि शामिल नहीं है। इसके समायोजन की आवश्यक्ता है।</td>
<td>3. चुंकि 684.60 करोड़ रुपये को लोक लेखे के तहत क.नि.सह.बी.यो. पर अर्जित ब्याज के रूप में रखे जाने के संबंध में जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय के पत्र संख्या जी-20016/1/2018-एसएस-II दिनांक 07-12-2018 द्वारा प्राप्त हुई अत: इसे निवेश अनुभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिखाया जाएगा।</td>
</tr>
</table>

4. अचल संपत्तियां (अनुसूची 24) - 408.37 करोड़ रुपये **(i)** उपरोक्त में रु 2.70 करोड की राशि शामिल है जिसे क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा 2016-17 के दौरान खातों की लीगेसी प्रणाली से खातों के एकरूप प्रारूप में रूपांतरण के लिए कटौती के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, इन कटौतियों का विवरण न तो 2016-17 के दौरान और न ही चालू वर्ष (2017) में लेखा परीक्षा के लिए प्रदान किया गया था। अत: ऑडिट इन कटौती को सत्यापित नहीं कर सका। **(ii) आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़** **(ए)** मुख्य कार्य की प्रगति में क्षे.का जालंधर द्वारा एजेंसियों / ठेकेदारों को एडवांस के तहत 6.74 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम को अधिक दर्शाया गया है और 6.74 करोड़ रुपये मुख्य कार्य की प्रगति को कम दर्शाया गया है। **(बी)** क्षे.का जालंधर द्वारा अचल संपत्तियों-भवन के अंतर्गत 2.26 करोड़ रुपये मुख्य कार्य की प्रगति के रूप में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य कार्य की प्रगति 2.26 करोड़ रुपये रुपये से फिक्स्ड एसेट्स की ओवरस्टेजमेंट की समझ है। जिसके परिणामस्वरूप एजेंसियों / कॉन्ट्रैक्टर्स को अग्रिम को अधिक दर्शाया गया है और 6.74 करोड़ रुपये मुख्य कार्य की प्रगति को कम दर्शाया गया है। **(सी)** एसबीएस नगर लुधियाना क.भ.नि.सं कॉलोनी में बाउंड्री वाल के काम के एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम में 19.63 लाख रुपए (क्षे.का., लुधियाना) एवं ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए 22.54 लाख (क्षे.का., चंडीगढ़) की राशि शामिल है । कार्य क्रमशः 19/9/2017 और 8/4/2016 को पूरा किया गया है और इसलिए इसे अचल संपत्तियों-भवन के अंर्तगत दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान अधिक और अचल संपत्तियों को 42.17 लाख रूपए कम दर्शाया गया है। **(iii)** 3.39 लाख रुपये रुपये का पूंजीगत व्यय क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा राजस्व व्यय के रूप में लेखे में दर्शाया गया है , जिसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को 3.39 लाख रुपये कम दर्शाया गया है।	**4.** **(i)** 2.70 करोड़ का ब्योरा, राज्य एजी दल द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, अगली वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए कोलकाता के दौरे के समय सत्यापित किया जा सकता है। **(ii)** **(ए)** वर्ष 2018-19 के वार्षिक खातों में इसे समायोजित किया जाएगा। **(बी)** वर्ष 2018-19 के वार्षिक खातों में इसे समायोजित किया जाएगा। **(सी)** इसे वर्ष 2018-19 के वार्षिक खातों में इसे समायोजित किया जाएगा। **(iii)** गणना की गलती के कारण मूल्यह्रास अंतर को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

5. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 28) **(i) वसूली योग्य अग्रिम** उपरोक्त में 52.19 लाख रुपए की नकारात्मक शेष राशि शामिल है (क्षे.का. तांबरम, 41 लाख रुपये और क्षे.का सिलीगुड़ी: 11.19 लाख रुपये) । इसे सुधारने की आवश्यकता है। **(ii) एजेंसियों / ठेकेदार को अग्रिम** एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम में रु 12.72 लाख की राशि शामिल है (क्षे.का चंडीगढ़) जो पहले ही वर्ष 2015-16 में कार्यालय उपकरणों के तहत पूंजीकृत हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप एजेंसियों / ठेकेदारों को 2.72 लाख रुपए अग्रिम अधिक दर्शाया गया है। **(iii) सिक्योरिटी डिपॉजिट** वर्तमान आस्तियों, ऋण और अग्रिमों में रु 9.09 लाख छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड (एससीपीडीसीएल) रायपुर (क्षे.का रायपुर) के साथ शामिल नहीं है । इसके परिणामस्वरूप संपत्ति और देनदारियों का राजस्व (राजस्व अधिशेष) 9.09 लाख रुपये कम दर्शाया गया है।	**5.** **(i)** वर्ष 2017-18 के लिए बैलेंस शीट में वसूली योग्य अग्रिमों के तहत नकारात्मक शेष, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित किए जा रहे हैं। **(ii)** इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों में समायोजित किया जाएगा। **(iii)** राजस्व व्यय के रूप में गलत तरीके से दिखाए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट को अगले वित्तीय वर्ष में वापस 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' में लिखा जाएगा।
6. व्यय- रू 68270.92 चालू वर्ष के दौरान रू. 127.91 करोड़ रूपये के निवेश के परिशोधित मूल्य (कर्मचारी भविष्य निधि रू. 61.67 करोड़, कर्मचारी पेंशन निधि रू. 61.37 करोड़, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना रू. 2.46 करोड़, क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि रू. 0.40 करोड़ तथा क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्यूटी निधि रू. 2.01 करोड़) को निवेश के ब्याज आय के साथ जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप आय एवं व्यय पर ब्याज में रू. 127.91 करोड़ कम दर्शाए गए।	**6.** निवेश खंड के संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में परिशोधित मूल्य एवं ब्याज दोनों को पृथक दर्शाया गया है। तथापि आय एवं व्यय लेखे में परिशोधक लागत को ब्याज की आय में समायोजित किया गया है। अगले वर्ष से उसे अलग से दर्शाया जाएगा।
7. मूल्य ह्रास **(i)** आंचलिक कार्यालय भोपाल द्वारा फ्री होल्ड भूमि पर रू. 3.61 राशि का मूल्य ह्रास का प्रभार डाला गया है जिसके परिणाम स्वरूप रू. 3.61 लाख तक मूल्य ह्रास में अधिकता तथा अचल परिसंपत्तियां में कमी आई है। **(ii)** क.भ.नि.सं. मुख्यालय पत्र सं. बी.एस.सी.-12(3)2014-15 दिनांक 24.06.2016 के अनुसार	**7.** **(i)** फ्री होल्ड भूमि पर त्रुटिपूर्ण अधिभारित मूल्यह्रास को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा ।

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, कम्पनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी कटौती पद्धति (एस.एल.एम.) पर दिया जाना चाहिए, जबकि मूल्यह्रास मूल्य पद्धति में दिए जाने के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा उक्त अधिनियम के अनुसार मूल्य ह्रास की दर नहीं अपनाई गई है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।	**(ii)** गणना में की गई त्रुटि के कारण मूल्यह्रास में आए अंतर को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाए।
8. अन्य आय- रू 690.73 करोड़ (अनुसूची 32) उपर्युक्त कथन पी.एम.पी.आर.पी.वाई. योजना के तहत क.भ.नि.सं. द्वारा प्राप्त अनुदान राशि पर रू.1.08 करोड़ का ब्याज आय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सरकार की देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष (2016-17) के दौरान अर्जित रू. 0.41 करोड़ की ब्याज आय (यू.सी. के अनुसार रू. 29.96 करोड़ के अनुदान राशि के आदि शेष घटा क.भ.नि.सं. द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार रू. 29.82 करोड़ में अंतर को भी सरकार की देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज आय में रू. 1.08 करोड़ की अधिकता, क.भ.नि. अंशदान निधि (अनुसूची-4) में रू 0.14 करोड़ की अधिकता तथा चालू देयताएं एवं प्रावधान में रू 1.22 करोड़ कम दर्शाए गए।	**8.** पीएमपीआरपीवाई योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के लिए खोला गए बैंक खाते पर अर्जित ब्याज राशि से संबंधित मामला, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत, सरकार, नई दिल्ली के समक्ष विचारधीन है। इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार ऐसे ब्याज की राशि की गणना की जाएगी। अर्थात् शेष (आदि शेष एवं अंतः शेष) में दर्शाए गए अंतर के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदान एवं अंशदान के मंजूरी पत्र के आधार पर क.पे.यो., 1995 के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र में अग्रेषित विवरण में क.पे.यों., 1995 से संबंधित आदि एवं अंतः शेष शामिल नहीं है रू. 7,925.65 करोड़ की ब्याज राशि, लोक लेखे (केंद्र सरकार द्वारा यथा सूचित) में जमा किया गया, क.पे.यो., 1995 में सरकार अंशदान पर अर्जित ब्याज से संबंधित है। संबंधित बैंक खातों में वास्तविक प्राप्ति तथा उस पर क्रेडिट हुए ब्याज के आधार पर पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के तहत उपयोगिता प्रमाणपत्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजे गए थे।
9. आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट (अनुसूची 45) **(i)** विलम्बित अवधि, चूक में निवेश एवं ब्याज आय के संबंध में लेखों पर नोट के परिशिष्ट ए के क्रम सं. 4 में बैंगलूरू महानगर पालिके (बी.एम.पी.) के संबंध में रू 2.05 करोड़ चूक में दर्शाया गया है जबकि उसकी वसूली कर ली गई है। लेखों पर नोट को संशोधित करने की आवश्यकता है। **(ii)** लेखों पर नोट के परिशिष्ट ए के क्र.सं. 5 एवं 7 में दिया गया प्रकटीकरण और रिकार्डों में भिन्नता है जिसके विवरण निम्नानुसार हैः	**9.** **(i)** अगले वित्तीय वर्ष में इसे संशोधित किया जाएगा। **(ii)** चूक में सही मूल राशि रू. 1,1170,000 है तथा चूक में ब्याज रू. 89,46,071 है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे संशोधित किया जाएगा।

क्र सं	निवेश का नाम	चूक में राशि (उपलब्ध कराए गए) रिकाड़ों के अनुसार	वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध कराए गए रिकार्डों के अनुसार चूक में ब्याज	वर्ष 2017-18 के लिए लेखों के नोट में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार चूकों की मूल राशि	वर्ष 2017-18 के लिए लेखों के नोट के अनुसार चूक में ब्याज	मूल के आंकड़ो में अंतर	ब्याज के आकड़ों में अंतर
	पंजाब वित्तीय निगम तथा मेसर्स पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,11,70,000	89,46,071	1,07,20,000	40,55,959	4,50,000	48,90,112

इसे समाशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) लेखों का नोट सं. ।।। (2 एवं 3) में वसूलनीय श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित राशि का कोई वर्णन नहीं करता ।

(iii) अनुमोदित सामान्य लेखा प्रारूप एवं उसकी अनुसूचियों के अनुसार होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।

10. 135 क्षेत्रीय कार्यालयों में 50 के लिए अंतः शेष प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए । इसके अतिरिक्त, इन 85 क्षे.का. में से 26 से बी.आर.एस. पस्तुत नहीं किए गए ।

10. तथ्यपूर्ण होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के पास ही ये रिकार्ड उपलब्ध हैं। इन रिकार्डों का रखरखाव फील्ड कार्यालयों द्वारा किया जाता है तथा उनके राज्यों के संबंधित महालेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित/लेखा परीक्षित किए जाते है।

11. क.भ.नि.सं. ने इसकी व्यख्या नहीं दे पाया कि लेखों पर नोट, सं. VII ए (परिशिष्ट ए) पर जैसा अंकित है क्या चूककर्ता संस्थाओं से देय ब्याज को खातों में लिया गया या नहीं।

11. लेखों पर नोट, सं. VII ए (परिशिष्ट ए) में जैसा उल्लेखित है निवेश पर देय ब्याज के आंकड़ों को समाशोधित किया जा रहा है तथा अंतर, यदि कोई हो, को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

12. क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालय अपने लेखों को एक समान फार्मेट में तैयार नहीं कर रहे है। वे, अपने लेखों को क.भ.नि.सं. मुख्यालय द्वारा डिजाइन किए गए एक विनिर्दिष्ट फार्मेट में तैयार कर रहे है, जिसमें पांच प्राप्ति एवं भुगतान लेखे (क.भ.नि. अंशदान खाता सं.1) क.भ.नि. प्रशासन निधि (खाता सं. 2), क.पें.यो. खाता (खाता सं 10) क.नि.सं. बी अशंदान खाता (खाता सं 21) तथा क.नि.सं. बी प्रशासन निधि (खाता सं. 22) और एक आय एवं व्यय खाता (क.भ.नि. प्रशासन खाता) तथा एक तुलनपत्र (क.भ.नि. अंशदान खाता एवं क.भ.नि. प्रशासन निधि खाता के लिए संयुक्त रूप से) समाहित है। क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालय अपने खातों को एक यूनिफार्म फार्मेट में तैयार करें जिसमें क.भ.नि.सं. के समेकित खाते रखे जा रहे हैं। क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्राप्ति एवं भुगतान खातों का शीर्षवार लेजर खातों के रखरखाव नहीं किया जो लेखो सिद्धातों के अनुसार अनिवार्य है। शीर्षवार खाता बहियों के अभाव में क्षे.का. के वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ो को मात्र समेंकित मासिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, बजट/व्यय नियंत्रण, रजिस्टर, रोकड़ वही एवं बैंक विवरणियों के संदर्भ में सत्यापित किए गए। क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि समेकित वार्षिक लेखे वर्ष 2017-18 से लेखों के सामान्य प्रारूप में तैयार किए गए। क्षेत्रीय कार्यालयों/एककों ने लेखों के परंपरागत फार्मेट का प्रयोग करते हुए प्रोद्भवन आधार पर वार्षिक लेखों की तैयारी किया है। डबल एंट्री अकाऊंटिंग सिस्टम (द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली) तथा नया लेखा साफ्टवेयर के विकास का क्रियान्वयन होने के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे भी लेखो क सामान्य फार्मेट में तैयार किए जाएंगे। इसके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में ऑडिट को सूचित किया जाए।	**12.** वर्ष 2017-18 से समेकित वार्षिक लेखों के सामान्य फार्मेट में बनाए जा रहे है। क्षेत्रीय कार्यालय/एकक प्रोद्भवन आधार पर लेखों के परंपरागत फार्मेट का प्रयोग कर के वार्षिक लेखे तैयार किए है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम (प्रविष्टि लेखो प्रणाली) तथा नया लेखा सॉफ्टवेयर के विकास के क्रियान्वयन के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे भी लेखों के सामान्य फार्मेट में तैयार किए जाएंगे।
13. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखों में दर्शायी गई अचल परिसंपत्तियों के अंतः शेष तथा लेखों के साथ संलग्न अचल परिसंपत्तियों के विवरण में भिन्नता पाई थी जिसके विवरण निम्नानुसार है।	**13.** अंतर को समाशोधित किया जा रहा है तथा अंतर यदि कोई हो तो उसे अगले वर्ष के वार्षिक लेखों में समायोजित किया जाएगा।

रू करोड़ में

क्षे.का./आ.का. का नाम	तुलन पत्र के अनुसार राशि	लेखों के साथ प्रस्तुत अचल परिसंपत्तियों के विवरण के अनुसार राशि	अंतर
आंचलिक कार्यालय, भोपाल	23.01	22.54	0.47
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	4.99	5.04	(-)0.05
क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर	5.87	2.22	3.65
क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्ने	5.98	7.57	(-)1.59
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	4.41	4.49	(-)0.08

इसे समाशोधित करने की आवश्यकता है।

14. आंचलिक कार्यालय दिल्ली एवं उत्तराखंड

लेखा प्रक्रिया (सामान्य) मैनुअल के पैरा 6.9.1 के अनुसार प्रत्येक दिन भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं द्वारा प्राप्त अंशदान राशि तथा अन्य देयों को उसी दिन भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित लिंक बैंक में प्रेषित किया जाना चाहिए। अंतरण में कोई विलंब होने से विधि और उसके ब्याज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, स्थापना द्वारा चालान प्रस्तुत करने की तिथि से सात दिनों के भीतर बैंक में जमा की गई राशि क.भ.नि.सं. खातों में जमा हो जानी चाहिए । राशि के अंतरण में विलम्ब होने से उसकी बचत दरों के ऊपर 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लगाया जाएगा ।

आंचलिक कार्यालय दिल्ली एवं उत्तराखंड के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (उत्तर) एवं क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण) को बैंक से क्रमशः रू. 1,18,67,249 एवं रू. 4,92,76,733 विलम्बित जमाओं पर ब्याज प्राप्त होना है परंन्तु उसे लेखों में नहीं लिया गया है। क.भ.नि.सं. ने

14. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विकेंद्रीकृत पांच वसूली लेखों में प्राप्ति की पूर्व प्रणाली के स्थान में क.भ.नि.सं. में दिसम्बर, 2016 के दौरान बहु बैंकों में एकल संग्रह खातों में सांविधिक अंशदानों की केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है। अतः अब अंशदान राशि और अन्य देय राशि क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक शाखाओं द्वारा प्राप्त/वसूली नहीं की जा रही है। इससे अंतरण में देरी होने का सवाल नहीं उठता। वसूली राशि तथा अनुमोदित लेखा नीति पर बैंक द्वारा उठाए गए विवाद के कारण पिछली अवधि की देरी के लिए बैंक से विलम्ब जमाओं पर प्राप्त ब्याज राशि को लेखों में शामिल नहीं किया गया है।

कहा कि नगद आधारित लेखांकन के वर्तमान पद्धति के अनुसार विलम्बित जमाओं पर प्राप्त ब्याज वसूली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस खाते पर वसूलनीय राशि लेखों पर नोट में प्रकट करना चाहिए।	
15. आंचलिक कार्यालयों के आंकडे तथा आंचलिक कार्यालयों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़ो में भिन्नताओं के दृष्टांत देखे गए है जिसके विवरण निम्नानुसार हैः- **(क)** आंचलिक कार्यालय भोपाल आंचलिक कार्यालय के लेखों के आंकड़े तथा आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखों को दिए गए आंकड़ो के बीच जो अंतर देखे गए है उसके विवरण निम्न प्रकार हैः करोड़ों में रू.	**15.** **(क)** अंतर का समाशोधन किया जा रहा है और यदि कोई अंतर है तो उसे अगले वर्ष के वार्षिक लेखों में समायोजित किया जाएगा।

लेखों के शीर्ष	**आंचलिक कार्यालय द्वारा समेकित लेखों के अनुसार राशि**	**आंचलिक कार्यालय, भोपाल के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों के अनुसार राशि**	**अंतर**
वर्ष 2017-18 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का जोड़	78,07,013	1,20,53,490	(-) 42,46,477
दिनांक 31.03.2018 तक फ्रीहोल्ड भूमि	1,67,70,045	1,08,86,950	58,83,095
दिनांक 31.03.2018 लीज़होल्ड भूमि	1,28,64,353	54,46,679	74,17,674
वेतन			
अधिकारियों के वेतन	9,42,91,843	9,15,14,643	27,27,200
स्थापना का वेतन	34,44,83,217	31,25,03,419	3,19,79,798
महंगाई भत्ता	2,24,61,830	2,05,45,800	19,16,030
छुट्टी नकदीकरण	2,81,17,639	2,80,87,050	30,589
भत्ते एवं मानदेय			
नगर प्रतिकर भत्ता	64,61,382	66,56,493	(-)1,95,111
परिवहन भत्ता	1,30,94,006	1,10,78,036	20,15,970
मकान किराया भत्ता	4,19,38,361	3,74,42,319	44,96,042
अन्य भत्ते	2,64,36,383	2,53,30,715	11,05,668
शिक्षा शुल्क	61,22,510	57,97,824	3,24,686

स्टाफ के लिए मेडिकल सहायता	85,40,245	82,14,245	3,26,000
यात्रा भत्ता एवं एल.टी.सी.			
यात्रा भत्ता	99,51,896	99,44,196	7,700
छुट्टी याता रियायत (एल.टी.सी.)	41,60,694	40,36,494	1,24,200
पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन निधि को अंतरित मृत्यु सह सेवानिवृत्ति पर उठाया गया व्यय	10,60,16,893	10,58,65,146	1,51,747
अन्य प्रभार	9,29,94,870	8,37,34,351	92,60,519
कल्याण गति विधियों के लिए अनुदान	31,09,992	24,40,438	6,69,554

इस अंतरों का समाशोधन करने की आवश्यकता है।

(ख) आंचलिक कार्यालय पटना

(i)आंचलिक कार्यालय के लेखों के आंकड़े तथा आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लेखों के आंकड़ो के बीच अंतर देखे गए, जिसके विवरण निम्नानुसार हैः

खातों के शीर्ष	**आंचलिक कार्यालय द्वारा समेकित लेखों के अनुसार राशि**	**आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों के अनुसार राशि**	**अंतर**
खाता सं. 1			
खाता सं. 1 का आदिशेष	(-)5,67,76,45,985.45	(-)2,85,04,07,883.66	(-) 2827238101.79
शास्तिक नुकसानी	7,16,17,373.42	7,02,27,217.42	13,90,156
7 क्यू ब्याज	3,89,91,356.76	4,03,81,512.76	(-)13 90,156
सदस्यों के खातों का अंतरण	80,25,897	65,41,972	14,83,925
खाता. 2			
बकाया व्यय	3,38,80,892	3,37,03,687	1,77,205
वय्य पर आय की अधिकता	2,09,49,429	2,13,41,753	(-)3,92,324
दिनांक 31.03.2018 तक कुल परिसंपत्तियां/देयताएं	52,88,53,19,342.72	40,38,14,40,176.72	12,50,38,79,165.80
वर्ष के आरंभ में कार्यालय भवन का लागत मूल्यांकन	1,81,30,056	1,80,21,988	1,08,068

(ख) इसका समाशोधन किया जाएगा तथा अंतर यदि कोई हो तो अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

<table>
<tr><td>इन विसंगतियों को समाशोधित करने की आवश्यकता है।</td><td></td></tr>
<tr><td>16. आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़
रू. 3.11 करोड़ के समय बाधित चेकों की राशि (क्षेत्रीय कार्यालय भठिण्डाः रू. 2.85 करोड, क्षे.का. लुधियानाः रू. 0.15 करोड़ और क्षे.का. चण्डीगढ़ः रू. 0-11 करोड़) को लेखों में वापस नहीं लिखा गया है । इसके परिणामस्वरूप रू. 3.11 करोड़ की देयताओं में कमी तथा बैक शेष में कम दर्शाए गए।</td><td>16. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंक प्राधिकरणों से समय बाधित चेक संबंधी मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ के संबंध में आज की तिथि में कोई भी पुराना चेक भुगतान हेतु लम्बित नहीं है।</td></tr>
<tr><td>17. क्षेत्रीय कार्यालय पटना
(i) क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने वर्ष 2017-18 से संबंधित रू. 5.68 लाख राशि के व्यय के लिए देयता में नहीं दर्शाया है जिसके परिणाम स्वरूप रू. 5.68 लाख वर्तमान देयताएं एवं उपबंध की कमी तथा व्यय की कमी हुई है।
<table>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>भुगतान का प्रयोजन</td><td>बिल स. एवं. तिथि</td><td>राशि</td></tr>
<tr><td>1</td><td>मार्च 2018 महीने के लिए सेक्यूरिटी गार्ड के वेतन</td><td>47/06.04.2018</td><td>1,94,887</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बेलट्रॉन से नियोजित 05 कर्मचारियों के वेतन</td><td>62/09.04.2018</td><td>76,065</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मार्च, 2018 के लिए आंचलिक कार्यालय में नियोजित सेक्यूरिटी गार्ड के वेतन</td><td>103/20.04.2018</td><td>91,913</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बेलट्रॉन से आंचलिक कार्यालय में नियोजित 4 कर्मचारियों के वेतन</td><td>71/12.04.2018</td><td>56,841</td></tr>
<tr><td></td><td>शेष, अन्य कार्य के पक्ष मेः गेस्ट हाऊस, क्षे.का.-I एवं क्षे.का.-II के चैम्बर, आगंतुक कक्ष, शौचालय के मरम्मत एवं नवीकरण</td><td>सी.पी. डब्लूय.डी द्वारा फरवरी 2018 के लिए प्रस्तुत फार्म-65</td><td>1,48,000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कुल</td><td>5,67,706</td></tr>
</table>
(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में शौचालय तथा स्कूटर शेड के पिछले भाग के मरम्मत एवं नवीकरण के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को रू. 8.50 लाख अग्रिम में दिए जिसे सी.पी.डब्ल्यू.डी से व्यय रिपोर्ट (फार्म 65) के रसीद के बिना लेखों में व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसके परिणाम स्वरूप रू. 8.50 लाख चालू परिसंपत्ति में कमी तथा व्यय में अधिकता दर्शाया गया।</td><td>17.
(i) क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखों के समेकन के पश्चात् यहां दर्शायए गए बिलों को प्राप्त/अनुमोदित किया गया । उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में वार्षिक लेखों में समायोजित किया जाएगा।

(ii) दिनांक 27.03.2018 को सीपीडब्ल्यू.डी. ने पहले से ही दिनांक 28.02.2018 तक की अवधि के लिए फार्म 65 प्रस्तुत किया है। अतः रू. 8.5 लाख राशि को व्यय के रूप में सही तरह से दर्शाया गया हैं।</td></tr>
</table>

(iii) सॉफ्टकापी में प्रस्तुत वाऊचर के अनुसार, यह देखा गया कि क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने कार्यालय उपस्कर पर रू. 7,02,140 का व्यय किया या पर वर्ष 2017-18 के अचल परिसंपत्तियों के विवरण में केवल रू. 5,98,875.00 दर्शाया गया है। इसे समाशोधित करना अपेक्षित है।	**(iii)** अंतर को अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों में समायोजित किया जाएगा।
18. क्षेत्रीय कार्यालय सागर क.भ.नि. के प्राप्ति एवं भुगतान खाता (खाता सं. 1) में आदि शेष को (-) रू. 13.46 करोड़ के स्थान में (-) रू 14.55 करोड़ लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्ति एवं अंतःशेष में रू. 1.09 करोड़ कम दर्शाए गए। क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय, सागर ने रिपोर्ट किया जनवरी, 2017 के खाता के वर्गीकृत सारांश में शेष रू. 1.09 करोड़ की त्रुटि हुई है, जो वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात् नोटिस में आई है। वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों में इसका सुधार कर दिया गया है।	**18.** अंतर का कारण का विश्लेषण किया जा रहा है। यदि कोई अंतर हो तो समुचित शीर्ष में तदनुसार समायोजित किया जाएगा।
19. निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रख-रखाव किए जा रहे आधारभूत रिकॉर्ड तथा लेखों के आंकड़ों के बीच विसंगतियां देखीं गईं जिनका विवरण इस प्रकार है :- **(क) क्षेत्रीय कार्यालय, बेहरामपुर** वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखों तथा बजट रजिस्टर से पता चला कि नीचे दर्शाए गए विभिन्न शीर्षों के बीच विसंगतियां थीं :-	**19.** (क) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के अंतर्गत बुक किए गए व्यय सही हैं। अंतर का कारण कुछ भुगतानों का बजट रजिस्टर में प्रदर्शित न होना, बजट रजिस्टर के शीर्षों की पोस्टिंग में लिपिकीय त्रुटियां होना आदि है। क्षेत्रीय कार्यालय को भविष्य में अधिक सावधान रहने के अनुदेश दिए जा रहे हैं।

शीर्ष	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के अनुसार राशि	बजट रजिस्टर के अनुसार राशि	अंतर
वेतन	5,09,24,577	5,21,84,480	12,59,903
अन्य भत्ते	91,05,110	91,78,803	73,693
यात्रा भत्ते	8,71,550	9,34,980	63,430
अवकाश यात्रा रियायत	4,30,604	4,31,611	1,007
कार्यालय किराया, दर एवं कर	28,22,861	27,50,649	(-) 72,212

टेलीफोन व्यय	1,74,382	1,75,900	1,518
विधि प्रभार	2,16,476	1,44,406	(-) 72,070
वाहन किराये पर लेना	3,24,787	3,98,377	73,590
विविध कार्यालयीन व्यय	3,74,834	3,75,284	450

उपर्युक्त विसंगतियों का समाशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई 1 एवं चेन्नई ।।

लेखों के आंकड़ों एवं बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों के नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अंतर पाए गए हैं :-

क्र.सं.	विवरण	बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार राशि	वार्षिक लेखों में दर्शाई गई राशि	अंतर (रूपये में)
1.	स्थापना के वेतन	25,98,66,833	28,32,04,603	-2,33,37,770
2.	महंगाई भत्ते	1,31,87,108	1,42,71,107	-10,83,999
3.	अवकाश नकदीकरण	76,46,299	76,26,979	19,320
4.	उत्पादकता सहबद्ध बोनस	66,03,406	65,89,590	13,816
5.	चिकित्सा सहायता	1,44,72,697	1,54,11,108	-9,38,411
6.	मानदेय	43,100	70,100	-27,000
7.	अन्य भत्ते	6,44,08,649	7,03,36,936	-59,28,287
8.	अवकाश यात्रा रियायत	29,44,148	48,97,817	-19,53,669
9.	यात्रा भत्ता	5,03,103	28,91,326	-23,88,223
10.	पेंशन, परिवार पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति पेंशन निधि को स्थानांतरित	2,79,79,485	2,82,60,983	-2,81,498

(ख) वार्षिक लेखों में दिखाई गई राशि तथा बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार राशि के बीच अंतर को समाशोधित कर लिया गया है। **'स्थापनाओं का वेतन', 'मंहगाई भत्ता'** तथा **'अन्य भत्ते', शीर्षों** के अंतर्गत, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मार्च माह के दौरान किए गए व्यय जिसे अगले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को वास्तव में व्यय किया गया था, को **'वेतन'** शीर्ष के अंतर्गत बकाया व्यय के बजट शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया था। वास्तव में यह राशि 31 मार्च को भुगतान नहीं की गई थी और वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखों में इसे एक्रूअल आधार पर बुक किया गया था। यही कारण है कि बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार राशि तथा वार्षिक लेखों के अनुसार राशि में उपर्युक्त शीर्षों में अंतर आया है। अन्य शीर्षों में बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार राशि तथा वार्षिक लेखों में दर्शाई गई राशि में मामूली अंतर इस तथ्य के कारण है कि वापसी प्राप्त हुए धन प्रेषण को बजट नियंत्रण रजिस्टर में लेखांकित किया गया है जबकि वार्षिक लेखों में इसे सही रूप में रिपोर्ट किया गया है। सभी संबंधित शीर्षों को अब समाशोधित कर लिया गया है और संबंधित प्रविष्टियों को बजट नियंत्रण रजिस्टर में जोड़ दिया गया है। अत: बजट नियंत्रण रजिस्टर को वार्षिक लेखों के साथ समाशोधित कर लिया गया है।

	करने पर किए गए व्यय			
11.	किराया दरें एवं कर	35,86,547	38,50,547	-2,64,000
12.	विद्युत प्रभार और जल प्रभार	87,83,197	86,75,155	1,08,042
13.	फर्नीचर व फिक्सचर	6,81,984	6,71,610	10,374
14.	डाक	18,72,570	18,72,070	500
15.	विधि प्रभार	80,996	27,905	53,091
16.	एनपीएस में बोर्ड का भाग	97,08,605	93,78,604	3,30,001
17.	विविध कार्यालयीन खर्च	11,25,726	10,48,070	77,656
18.	पेटी कार्य	59,02,436	56,10,438	2,91,998
19.	खेलकूद गतिविधियां	8,06,883	9,45,688	-1,38,805
20.	कल्याण गतिविधियाँ	4,66,470	13,96,470	-9,30,000
	कुल			-3,63,66,864

इन अंतरों को समाशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लेखों (क.भ.नि. प्रशा. लेखा, लेखा संख्या 2) एवं बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों के बीच अंतर देखा गया :-

लेखा शीर्ष	**रजिस्टर के अनुसार व्यय (रू. में)**	**लेखों के अनुसार व्यय (रू. में)**	**अंतर (रू. में)**
अवकाश नकदीकरण	6,67,895	6,49,695	18,200
यात्रा भत्ता	14,91,253	15,51,826	60,573

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक ने स्पष्ट किया है कि ये अंतर बजट नियंत्रण रजिस्टर में कुछ लिपिकीय एवं टंकण की त्रुटियों के कारण हैं और भविष्य में इन्हें नहीं दोहराया जाएगा।

अवकाश यात्रा रियायत	6,45,213	6,25,696	19,517
विद्युत प्रभार एवं जल प्रभार	1,62,153	16,13,924	14,51,771
विधि प्रभार	5,84,397	6,03,352	18,955

(घ) क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लेखों (क.भ.नि. प्रशा. लेखा, लेखा संख्या 2) एवं बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों के बीच अंतर देखा गया :-

लेखा शीर्ष	**बजट व्यय नियंत्रण रजिस्टर**	**प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के अनुसार (रू. में)**	**अंतर (रू. में)**
महंगाई भत्ता	43,93,617	43,97,188	(3571)
अन्य भत्ते	2,80,88,511	2,85,67,214	(478703)
यात्रा भत्ते	6,87,747	6,87,613	134
अवकाश यात्रा रियायत	11,60,607	11,57,253	3354
विद्युत प्रभार और जल प्रभार	6,73,271	6,64,449	8822
फर्नीचर व फिक्सचर	1,47,339	2,43,927	(96588)
लघु कार्य	2,25,494	2,37,426	(11932)
डाक	6,22,470	6,18,340	4130
किराए दरें एवं कर	16,03,077	16,10,569	(7492)

(घ) ये अंतर बजट नियंत्रण रजिस्टर में कुछ लिपिकीय एवं टंकण की त्रुटियों के कारण हैं और भविष्य में इन्हें नहीं दोहराया जाएगा।

कार्यालयीन उपकरण	30,776	13,486	17290
विविध कार्यालयीन खर्च	5,03,285	4,93,585	9701
सूचना प्रौद्योगिकी	7,35,576	7,56,996	(21420)

इन्हें समाशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(ड़) क्षेत्रीय कार्यालय, सिलिगुड़ी

लेखों की जांच से लेजर शीर्ष एवं लेखा शीर्ष तथा आधारभूत रिकॉर्ड के आंकड़ों के बीच निम्नलिखित विसंगतियां पाईं गईं :

रूपये में

प्राप्ति पक्ष			
लेखा शीर्ष	**लेखों के अनुसार**	**आधारभूत रिकॉर्ड के अनुसार**	**अंतर**
एचबीए पर ब्याज	2,22,598	2,21,546	1,052
लाइसेंस फीस की वसूली	62,924	63,884	960
अतिथि गृह प्राप्तियां	1225	17,325	16,100
विविध प्राप्तियां	40	1,57,287	1,57,247
एचबीए की वसूली	57,979	74,423	16,444
पार्टियों से प्राप्त प्रतिभूतियां	5500	15500	10000
भुगतान पक्ष			
विविध कार्यालयीन व्यय	4,88,682	4,87,994	688

(ड़) 'लेजर के अनुसार' में दर्शाई गई राशि गैर अनुमोदित रिकॉर्ड से ली गई थी। 'लेखों के अनुसार' में दर्शाई गई राशि को अंतिम तुलन पत्र में दिखाया गया है जिसे वास्तविक वीडीआर प्राप्तियों से लिया गया है।

अंत शेष	(-)1606906	(-)206288	1400618
परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय।	शून्य	15,26,000	15,28,000

उपर्युक्त विसंगतियों का समाशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(च) पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) जनकपुरी, नई दिल्ली

बजट नियंत्रण रजिस्टर में दर्शाए गए आंकड़े पीडीयूएनएएसएस के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से मेल नहीं खाते हैं :-

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीसीआर के अनुसार आंकड़ें	लेखा के अनुसार आंकड़ें	अंतर
1.	अवकाश नकदीकरण	1,67,473	1,68,020	547
2.	यात्रा भत्ता	7,55,908	10,06,066	2,50,158
3.	अवकाश यात्रा रियायत	3,22,198	2,85,962	36,236
4.	आकस्मिकताओं से स्टॉफ को किया गया भुगतान	71,90,645	72,35,692	45,047
5.	फर्नीचर व फिक्सचर	8,43,768	1,41,991	7,01,777
6.	प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग	1,61,316	1,76,121	14,805
7.	बैंक कमीशन	4,000	3,717	283
8.	वाहन किराये पर लेना	17,19,952	14,90,918	2,29,034
9.	स्टेशनरी एवं स्टोर	5,01,302	4,86,323	14,979
10.	कार्यालयीन उपकरण	1,71,834	16,005	1,55,829
11.	विविध कार्यालयीन खर्च	52,18,828	54,24,336	2,05,508
12.	पुस्तकें एवं जर्नल्स	1,52,818	1,59,922	7104

(च) बीसीआर एवं लेखों के आंकड़ों में अंतर पिछले वर्ष (वर्षों) का समायोजन लेखों के आंकड़ों में करने तथा पीडीएनएएसएस का बजट आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानांतरित करने के कारण है, जिसकी बीसीआर में प्रविष्टि की गई है। वित्तीय वर्ष के अंत में बीसीआर को बंद करने संबंधी टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

13.	प्रशिक्षण, बैठक एवं सम्मेलन	77,49,567	33,45,450	44,04,117
14.	एनपीएस में बोर्ड का भाग	85,009	1,40,059	55,050

इन आंकड़ों का समायोजन करने की आवश्यकता है।

यह भी देखा गया है कि बजट नियंत्रण रजिस्टर को सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से वर्ष के अंत में बंद नहीं किया जाता है। कई अवसरों पर यह पाया गया कि आंकड़ों को पैंसिल से लिखा एवं जोड़ा गया था और इन प्रविष्टियों पर प्राधिकृत हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, इन प्रविष्टियों की प्रमाणिकता तथा उपयुक्तता को ऑडिट द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(छ) आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता

लेखों एवं लेजर के आंकड़ों में निम्नलिखित अंतर पाए गए जिन्हें समाशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

लेखे का शीर्ष	**प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के अनुसार आंकड़ें**	**लेजर के अनुसार आंकड़ें**	**अंतर**
वेतन	89,48,538	88,32,309	1,16,229
महंगाई भत्ता	4,63,052	3,22,814	1,40,238
संतान शिक्षा भत्ता	63,000	शून्य	
मकान किराया भत्ता	13,94,254	शून्य	
वाहन भत्ता	7,90,956	शून्य	
यात्रा भत्ता	2,01,971	2,01,521	450
फार्म एवं स्टेशनरी	2,74,046	शून्य	2,74,046

(छ) विभिन्न लेखों में दर्शाए गए अंतर की पुन: जांच की गई है और सही पाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनजाने में ऑडिट टीम के समक्ष संशोधन से पहले वाला तुलनपत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। इसे ऑडिट टीम द्वारा अगली बार आने पर सत्यापित किया जाएगा।

20. क्षेत्रीय कार्यालय, तांबरम

20.

(i) रोकड़ बही एवं बीआरएस से यह देखने में आया कि लेखा संख्या 1 एवं 10 में क्रमश: रू. (-) 72,02,922 तथा रू. (-) 2,29,86,681 का अंतशेष था जबकि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में यह रू. (-) 60,58,100 तथा रू. (-) 2,25,61,163 क्रमश: बताया गया । लेखा संख्या 1 एवं 10 में क्रमश: रू. 11,44,822 तथा रू. 4,25,518 के अंतर को स्पष्ट / समाशोधित करने की आवश्यकता है।

क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि यह अंतर चालानों के समाशोधन न करने के कारण आया तथा रिकार्ड में आवश्यक समाशोधन किया जाएगा।

यह नीचे दिए गए माह के लिए लेखा संख्या 1 के चालानों में समाशोधन न करने के कारण हुआ है : -

माह	बैंक विवरण में प्राप्त परंतु लॉग इन में प्राप्त नहीं हुई राशि	लॉग इन में प्राप्त परंतु बैंक विवरण में प्राप्त नहीं हुई राशि	अंतर
11/2015	4052	0	4052
12/2015	23972	0	23972
02/2016	10526	0	10526
11/2016	16253	0	16253
12/2016	1115676	0	1115676
12/2016	1109	0	1109
04/2016	0	26766	-26766
		कुल	1144822

यह नीचे दिए गए माह के लिए लेखा संख्या X के संबंध में चालानों के समाशोधन न करने के कारण उत्पन्न हुआ है:-

माह	बैंक विवरण में प्राप्त परंतु लॉग इन में प्राप्त नहीं हुई राशि	लॉग इन में प्राप्त परंतु बैंक विवरण में प्राप्त नहीं हुई राशि	अंतर
11/2015	2154	0	2154
12/2015	12748	0	12748
02/2016	5597	0	5597
11/2016	8467	0	8467
12/2016	513275	0	513275
08/2016	0	102505	-102505
10/2016	0	14218	-14218
		कुल	425518

चूंकि रोकड़ बही में कॉलम संख्या (ii) का लेखांकन नहीं किया गया था,

	जबकि तुलन पत्र में इसका लेखांकन किया गया था जिसके कारण रोकड़ बही में अंतर आया । चूंकि इसे तुलन पत्र में समायोजित किया जा चुका था अत: हम रोकड़ बही के आदि शेष को वर्ष 2018-19 के तुलन पत्र के आदि शेष से मिलाने के लिए रिकार्ड को तुलन पत्र के अनुसार समायोजित करेंगे।
(ii) लेखों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, तांबरम के संबंध में 31.03.2018 को निष्क्रिय लेखों का अंतिम शेष रू. 1075.58 करोड़ था जबकि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 'निष्क्रिय खातों का सारांश' में अंत शेष के रूप में 1073.67 करोड़ रू. की राशि दर्शाई गई है। रू. 1.91 करोड़ के अंतर का समाशोधन नहीं किया जा सका।	**(ii)** बिंदु संख्या (iii) के संदर्भ में, 31.03.2018 को निष्क्रिय खातों में 1.91 करोड़ के अंतर को जांचा जा रहा है और रिकार्ड के सत्यापन के पश्चात, इस अंतर को 2018-19 के तुलनपत्र में संशोधित कर लिया जाएगा।
21. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता 11.39 लाख के पूंजी व्यय (फर्नीचर एवं फ्क्चिर : रू. 2,97,440, कार्यालय उपकरण : रू. 25,332, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं जर्नल : रू. 61,254, स्टाफ कार : रू. 6,64,130 तथा कंप्यूटर हार्डवेयर : रू. 90400) को लेखों में राजस्व व्यय के रूप में दिखाया गया है जिसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों तथा पूंजी निधि में 11.39 लाख कम दिखाए गए हैं। क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि ऑडिट पैरा में दर्शाए गए लेन-देन (ट्रांसैक्शन) को क.भ.नि.सं., मुख्यालय द्वारा उनके पत्र दिनांक 24.06.2016 द्वारा परिचालित लेखांकन नीति के अनुसार दिखाया गया है जो यह बताता है कि 5,000/- रू. से कम मूल्य की मदें अथवा एक वर्ष से कम उपयोग वाली वस्तुओं को राजस्व व्यय के रूप में माना जाए। इसे अगले ऑडिट के समय सत्यापित किया जा सकता है।	**21.** ऑडिट पैरा में दर्शाए गए लेन-देन (ट्रांसैक्शन) को क.भ.नि.सं., मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 24.06.2016 द्वारा परिचालित लेखांकन नीति के अनुसार दिखाया गया है। यही उत्तर ऑडिट टीम को भी दिया गया था और ऑडिट पार्टी द्वारा आगामी दौरे पर इसे सत्यापित किया जा सकता है।
22. आंचलिक कार्यालय, हुबली, क्षेत्रीय कार्यालय, गुलबर्गा तथा क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलौर द्वारा संबंधित ऑडिट कार्यालय को ऑडिट हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इन लेखों को सत्यापित नहीं किया जा सका। आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित फील्ड कार्यालयों को	**22.** क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलुरू द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु उनके वार्षिक लेखों को भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखांकन विभाग, बंगलुरू को उनके पत्र दिनांक 28.01.2019 द्वारा भेजा जा चुका है।

समय पर लेखों को प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश दिए जाएं।	आंचलिक कार्यालय हुबली द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु उनके अंचल जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, गुलबर्गा भी शामिल है, के वार्षिक लेखों को भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखांकन विभाग, बंगलुरू को उनके पत्र दिनांक 01.05.2019 द्वारा भेजा जा चुका है।
23. क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद 16.45 करोड़ रू. की राशि के समयवर्जित (Time barred) चैक (क.भ.नि अंशदान खाता : रू. 0.29 करोड़ तथा क.पें.यो. राशि : रू. 16.16 करोड़) को वापस नहीं लिखा गया है जिसके परिणामस्वरूप बैंक शेष तथा दायित्वों में रू. 16.45 करोड़ की कमी दिखाई गई है।	**23.** समाशोधन किया जा रहा है और समाशोधन के पश्चात् लेखों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
24. यह देखा गया है कि अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संशोधन पूर्व लेखों को लेखा परीक्षा हेतु रखा गया है और अत: इस संशोधन पूर्व लेखों पर ऑडिट टिप्पणियां की गईं हैं। आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों को केवल अंतिम लेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करना चाहिए जिन्हें क.भ.नि.सं. के संपूर्ण लेखों के समेकन हेतु स्वीकार किया गया है।	**24.** आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों को केवल अंतिम लेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए गए हैं जिन्हें क.भ.नि.सं. के संपूर्ण लेखों के समेकन हेतु स्वीकार किया गया है।
25. क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर क.भ.नि अंशदान के रू. 16.16 लाख का अनियमित भुगतान का लेखांकन नहीं किया गया है।	**25.** वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों में संशोधित / समायोजित कर दिया गया।